न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **702/2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. अशोक कुमार पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 2. अरूण पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 3. गोरधन पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 4. मांगीलाल पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 5. मीरादेवी पत्नी जेठाराम उर्फ जेठमल, 6. शान्तिलाल पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 7. सुरेश पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, 8. हीरालाल पुत्र जेठाराम उर्फ जेठमल, सभी जातियान ब्राहमण निवासी आचार्यो का मोहल्ला, नयापुरा, फलोदी जोधपुर।		1. जुगल किशोर गहलोत पुत्र प्रेमराज गहलोत माली निवासी–फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.2022 उपखण्ड अधिकारी, फलोदी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2022 अनवान जुगल किशोर बनाम तहसीलदार वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अपीलांट की ओर से।
2–श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01 नवम्बर 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल.आर.एक्ट का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 सं. 01 की खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं0 8/4 रकबा 0.3885 व खसरा नं0 8/5 रकबा 0.0971 हैक्टर भूमि आई हुई है, जो भूमि संलग्न नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी व ई, ए, सी, डी, एफ, सी के अनुसार है। रेस्पो0 संख्या एक की भूमि खसरा सं0 8/4 व 8/5 की ऑनलाईन तरमीम करते समय तरमीम कब्जे अनुसार नही करके भिन्न प्रकार से कर दी गई है जिसे प्रार्थी निरस्त करवाकर नजरी नक्शे में मौके अनुसार तरमीम शुद्व करवाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान तरमीम को निरस्त कर नजरी नक्शे में दर्ज मार्क के अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 15.12.2022 का पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्टस ने निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण खसरा सं0 8 के खातेदार काश्तकार है तथा जिनके पूर्वज जेठाराम द्वारा खसरा नं0 8 में से 3 बीघा भूमि का बैचान शिवराज पुत्र बालूराम को किया गया था तथा उसके देहान्त होने के पश्चात उसकी पत्नी व पुत्र द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रत्यर्थी सं0 1 को वर्ष 2004 में किया गया था उक्त भूमि के राजस्व नक्शे के अनुसार ही खसरा नं0 8/4 की तरमीम नक्शे में की हुई थी तथा उसी अनुसार ऑनलाईन तरमीम की गई है तथा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलार्थीगण की भूमि पर तरमीम कर दी गई है। इसलिए अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हम पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही तरमीम की गई थी जो वर्तमान तरमीम शुद्वि का आदेश मौके स्थिति के विपरीत जाकर किया गया है तथा मौके की स्थिति से भी भिन्न है। पूर्व से ही तरमीम होने के कारण उसी अनुसरण में सेग्रीनेशन की कार्यवाही में तरमीम की जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दस्तावेजों के विपरीत पारित किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किया जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाए जाने के कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में नहीं रख सके थे। इस कारण आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि की तैयार मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मौके पर राजस्व नक्शे व सेग्रीगेशन में की गई तरमीम के अनुसार ही प्रत्यर्थी मौके पर काबिज है। इस कारण भी आलोच्य आदेश उक्त मौका रिपोर्ट के विपरीत होने के कारण भी अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाकर अपीलाधीन ओदश दिनांक 15.12.2022 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थि अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत कि ग्राम खींचन तहसील फलोदी की शरहद में उनकी खातेदारी की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की भूमि खसरा सं0 8/4 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा सं0 8/5 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त दोनो खसरान की भूमि रोड के चिपती–चिपती आयी हुई है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा सम्वत् 2077 से 2080 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मौके पर प्रार्थी का खसरा सं0 8/4 रकबा 0.3885 हैक्टयर व खसरा सं0 8/5 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जो संलग्न नजरी नक्शा में दर्ज स्थान ए, बी, सी, डी, एवं मार्क ई, ए, सी, डी, एफ, जी, के अनुसार बनता है। रेस्पो0 संख्या एक की मौके पर खातेदारी की भूमि खसरा सं0 8/4 रकबा 0.3885 हैक्टयर व खसरा सं0 8/5 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि पर कब्जा हो रखा है लेकिन उक्त मौका तरमीम को ऑनलाईन तरमीम करते समय राजस्व नक्शा में गलत तरमीम कर दी गई है। जो गलत एवं विधि विरूद्ध की गई है, जिसे निरस्त करवाकर नजरी नक्शा व मौके पर कब्जा के आधार पर तरमीम करवाने का हकदार है। रेस्पो0 संख्या एक को गलत तरमीम की जानकारी होने पर उनके द्वारा तारीख 28.11.2022 को तहसीलदार, फलौदी को तरमीम शुद्वि करवाने का निवेदन किया तो उन्होने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तब रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिधारी तहसीलदार, फलौदी होने से उनको पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा सं0 8/4 रकबा 0.3885 हैक्टयर की तरमीम को निरस्त करते हुए नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क ई,ए,सी,डी,एफ,जी, व खसरा सं0 8/5 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि की तरमीम को निरस्त करते हुए नजरी नक्शा में दर्शाई गई मार्क ए,बी,सी, डी के माफिक राजस्व नक्शा में तरमीम हेतु निवेदन किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए तहसीलदार, फलौदी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, तत्पश्चात मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 8/4 व ख0सं0 8/5 की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये गये है,जो पूर्ण रूप से उचित होने एवं विधि अनुकूल एवं मौका स्थिति अनुसार सही होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस उक्त अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार व्यथित पक्षकार नहीं है और न ही उन्हें यह अपील पेश करने का अधिकार बनता है। ऐसे में उनकी ओर से यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु किये गये निवेदन अस्वीकार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। भू0अ0निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा भूमि पर कब्जा अनुसार तैयार किये गये नजरी नक्शा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, इस प्रकार तहसीलदार फलौदी की ओर से प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अपीलान्टस यानि खसरा संख्या 8 के खातेदार जो कि ख0सं0 8/4 व 8/5 के पडौसी खातेदार है, को मौका फर्द में मौके पर उपस्थित होना दर्शाया तथा उनकी ओर से ख0सं0 8/4 की नक्शा तरमीम की फोटोप्रति उपलब्ध करवाई गई थी तो अपीलान्टस को उक्त तथ्यों की जानकारी रही है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम शुद्धि किये जाने को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, जो बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा तरमीम शुद्धि करवाने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के कम में तहसीलदार फलौदी से मौका/वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की गई जिस पर भू0अ0निरीक्षक द्वारा मौका एवं राजस्व नक्शे के अनुसार मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द तैयार करते समय खसरा संख्या 8 के खातेदार (वर्तमान अपीलान्टस) यानि ख0सं0 8/4 व 8/5 के पडौसी खातेदार है, को मौके पर उपस्थित होना दर्शाया तथा उनकी ओर से ख0सं0 8/4 की तरमीम की फोटोप्रति उपलब्ध करवाया जाना उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक की ओर से पेश नजरी नक्शा में मौका व कब्जा अनुसार तरमीम नहीं कर भिन्न प्रकार से की गई तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु पेश आवेदन पर उक्त खसरान की की गई तरमीम को निरस्त करते हुए भू0अ0निरीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार नई तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अपीलान्टस अपनी ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पेश इस अपील में उक्त तरमीम शुद्धि किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन से आदेश से किस प्रकार व्यथित है अथवा खसरा संख्या 8 में उके कब्जे वाली भूमि के मौके अथवा उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से में क्या परिवर्तन होगा, यह साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अपीलान्टस की अपील सारहीन/ आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी का आदेश दिनांक 15.12.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 नवम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर